



न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म.क. / 2014 निगरानी

1. गीता दुपुत्रियौ विरोजी आदिवासी
2. रीता निवारीगण ग्राम बिलूखो तह. व जिला शिवपुरी
म.प्र. आवेदकगण

बनाम
म.प्र. शासन द्वारा कालेक्टर शिवपुरी म.प्र.
उन्नतवेदक

राजरव मण्डल, गृह्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1656 / तीन / 2014

जिला शिवपुरी

थाना तथा
दोनों

कार्यवाही तथा आदेश

प्रधानार्थी एवं
अभिभाषक के
दस्तावेज़

१/ ६.१५ यह निगरानी आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 315/12-13 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 20.1.14 के विरुद्ध म0प्र0भू राजरव संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को प्रस्तुत की गई है।


2/ आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी की ग्राह्यता पर एवं अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 315/12-13 अप्रैल में पारित आदेश दिनांक 20.1.14 के अवलोकन पर पाया गया कि विवाराधीन निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 31.5.14 को अर्थात आदेश पारित होने के 130 दिन बाद प्रस्तुत की गई है। प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 14.3.14 से 10.4.14 दिवस अर्थात् 27 दिन का समय लगा है $131 - 27 = 104$ दिवस का विलम्ब है, जबकि संहिता में किये गये सँझेघन क्रमांक 42 रान् 2011 म0प्र0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 30 दिसम्बर 2011 में प्रकाशित अनुसार इस हेतु केवल 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है। इस प्रकार निगरानी लगभग 44 दिवस के विलम्ब से प्रस्तुत है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के तथ्यों के पुस्ति में विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.14 की जानकारी रीडर ने 10.4.14 को दी और इसी दिन नकल आवेदन देकर 10.4.14 को नकल प्राप्त की। जबकि प्रमाणित प्रतिलिपि पर अंकित तिथि अनुसार नकल का आवेदन 14.3.14 को

निगरानी क्रमांक 1656 / तीन / २०१४

दिया गया है, इस प्रकार अवधि विधान की धारा-५ में दिया गया विवरण आवेदक के रवान्हा मन का प्रतीक नहीं है। आयुक्त राजालियर सभाम् राजालियर के आदेश दिनांक 20.1.14 के अनुसार अपीलाथी (आवेदक) के अभिभाषक ने इसी दिन उपस्थित रहकर तक प्रस्तुत किये हैं और इसी दिन आदेश पारित हुआ है।

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा ५ - विलंब माफी हेतु आवेदन आदेश की जानकारी का श्रोत सही नहीं दर्शाया गया - प्रत्येक दिन के विलंब का स्पष्टीकरण नहीं विलंब माफ नहीं किया जा सकता।
 2. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 - धारा ४७ - अनुवित विलम्ब को क्षमा करके एक पक्षकार को लाभ देते हुये द्वितीय पक्षकार को प्रोद्भूत मूल्यवान अधिकार को विनष्ट नहीं किया जा सकता।
 3. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959-- धारा ४७ - अंतिम तक उपरात आदेश हेतु तिथी नियत - अंतिम आदेश दिनांक की तिथि अभिभाषक के अभिज्ञान में है- आदेश नियत दिनांक को अभिभाषक ने टीप नहीं किया- आदेश की सूचना होना जाना मानी जावेगी।
 4. म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 - धारा ४७ - आदेश की जानकारी का दिनांक ऐसका श्रोत राखित नहीं किया गया - विलम्ब क्षमा योग्य नहीं है।
- 4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी अवधि-वाहय पाये जाने से अगान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।


(अशोक श्रिवस्त्रवा) -
राजस्व गण्डल
पद्ध्य प्रदेश राजालियर